न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–87 सन् 2007

सुजीत कुमार साह व अन्य.....वादीगण।

बनाम

मु0 रजिया कुंअर वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 15.03.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 18.01.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त मुकदमा में पूर्व प्रतिवादी सं0 01 राम अयोध्या सिहं की पत्नी वर्तमान में प्रतिवादी सं0 01 मु0 रजिया कुंअर है। पूर्व प्रतिवादी सं0 01 राम अयोध्या सिंह के मृत्यु के पश्चात् उनकी जगह उनके वारिसान प्रतिस्थापित प्रतिवादी नं0 01 ता 1 'ग' है। प्रतिवादी स0 01 मु0 रजिया कुंअर दिनांक 23.03.2016 को अपने वारिस प्रतिवादी सं0 01 'क' ता 1 'ग' को छोड़कर मर गई है। प्रतिवादी सं0 01 मु0 रजिया कुंअर का असल नाम राज कुमारी देवी था। वादीगण राजकुमारी देवी का उर्फ नाम मु0 रजिया कुंअर ही मालुम था जिस वजह से पूर्व प्रतिवादी सं0 01 राम अयोध्या सिंह के पत्नी का प्रतिवादी सं0 01 के रूप में मु0 रजिया कुंअर ही प्रतिस्थापित किया गया। उपरोक्त स्थिति में प्रतिवादी सं0 01 रजिया कुंअर का नाम अर्जीदावी में प्रतिवादी कॉलम से कलमजद होना आवश्यक है। वादीगण ने जानबूझकर कोई गलती नहीं किया है। अतः निवेदन हे कि उपरोक्त स्थिति में अर्जीदावी से प्रतिवादी के कॉलम से प्रतिवादी सं0 01 मु0 रजिया कुंअर जौजे–स्व0 राम अयोध्या सिंह का नाम कलमजद कर दिया जाए।

प्रतिवादी सं0 01 'क' की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 15.02.2023 को दाखिल कर कथन है कि उपरोक्त मुकदमा में वादी द्वारा दिया गया आवेदन तथ्य एवं कानून दोनों दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है बल्कि अस्वीकृत होने योग्य है। वादीगण ने जो आवेदन दाखिल किया है वह व्यवहार प्रकिया संहिता के किस धारा, आदेश, नियम के तहत दाखिल किया गया है इसका जिक आवेदन में नहीं किया गया है। आवेदन के कंडिका–1 गलत है। वाद के पूर्व प्रतिवादी सं0 01 के पत्नी राजकुमारी देवी थी। मु0 रजिया कुंअर नहीं थी। जिस संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2021 के आदेश में पहले ही अस्वीकृत कर दिया गया है। आवेदन के कंडिका–2 वादीगण साबित करें। आवेदन के कंडिका 3

गलत है। प्रतिवादी सं0 01 'क' ता 'ग' मु0 रजियां कुंअर के वारिसान नहीं है। बल्कि मु0 राज कुमारी देवी के वारिसान हैं। मु0 राजकुमारी देवी की मृत्यु दिनांक 25.03.2016 को हो गई है। मु0 राज कुमारी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति अभिलेख में पूर्व में दाखिल किया गया है। पूर्व के प्रतिवादी सं0 01 राम अयोध्या सिंह की पत्नी का नाम मु0 राजकुमारी देवी थी। मु0 रजिया कुंअर नहीं था। मु0 राजकुमारी देवी का उर्फ नाम रजिया कुंअर नहीं था। इसका प्रमाण वादीगण पूर्व में कुछ दाखिल नहीं कर पाये जिसके कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2021 को इस बिन्दु पर आदेश पारित किया जा चुका है। उपरोक्त मुकदमा एबेट कर चुका है। किसी प्रावधान के तहत आवेदन दिए है इसका जिक्र नहीं किया गया है। अतः निवेदन है कि वादीगण का आवेदन दिनांक 18.01.2023 साथ खर्चा खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी वादी सं0 01 मु0 रजिया कुंअर का नाम वादपत्र से कलमजद करने हेतु दाखिल किया है। वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि पूर्व के प्रतिवादी सं0 01 राम अयोध्या सिंह के स्थान पर उनकी पत्नी मु0 रजिया कुंअर प्रतिस्थापित हुई थी। प्रतिवादी सं0 01 मु0 रजिया कुंअर का असल नाम राजकुमारी देवी था। वादी के द्वारा दिनांक 05.08.2017 को आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी सं0 01 मु0 रजिया कुंअर का नाम वादपत्र से कलमजद करने हेतु दाखिल किया गया था परंतु न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2021 को यह कहकर वादी का आवेदन खारिज कर दिया गया था कि पूर्व के प्रतिवादी सं0 01 राम अयोध्या सिंह के पत्नी का नाम राज कुमारी देवी है न कि रजिया कुंअर। जिस कारण वादी का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था। वादी पुनः दिनांक 18.01.2023 को आवेदन दाखिल कर निवेदन किए हैं कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 01 में प्रतिस्थापित नाम रजिया कुंअर है जो भूलवश राज कुमारी देवी से रजिया कुंअर दर्ज हो गई है। चूंकि प्रतिवादी रजिया कुंअर के वारिसान पूर्व से ही पक्षकार हैं एवं रजिया कुंअर की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वादी प्रार्थना करते हैं कि रजिया कुंअर का नाम वादपत्र से कलमजद कर दिया जाए, जिसके बनस्पत वादी ने नाम कलमजद करने हेतु आवेदन दाखिल किया है जो शपथ पत्र के साथ समर्थित है। अत : वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 18.01.2023 को न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है एवं रजिया कुंअर का नाम वादपत्र से कलमजद करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक .....को वाद बिन्दु के गठन हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।